ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 164-168**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

बिहार में महिला सशक्तीकरण के फायदे और परिणाम

डॉ0 गीता कुमारी

ग्राम– जसोइया, पो0– चरन, जिला– औरंगाबाद (बिहार) भारत

Received-07.11.2024, Revised-12.11.2024, Accepted-17.11.2024 **E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

सारांशप्रतिशत महिला सशक्तीकरण महिला विकास की चरम परिणति है। इसके द्वारा महिलाएं शक्तिशाली बनती है, उनमें योग्यता का अधिकाधिक विकास होता है और उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना ही महिला सशक्तीकरण है। बिहार राज्य ने भी महिला सशक्तीकरण की महत्ता को समझा और इस दिशा में कई कालजयी कार्य किए जो आज देश के लिए नजीर है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार राज्य के लिए महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता काफी पहले से ही बनी हुई थी जो अब जाकर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तीकरण, योग्यता, सशक्त, सक्षम, कालजयी, आधी आबादी, आत्मबल, निर्भरता, लैंगिक असमानता

महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता क्यों?– बिहार में फीसदी से अधिक यानी लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा राज्य है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस आधी आबादी की भागीदारी आवश्यक है। यह तभी संभव है जब विभिन्न उपायों द्वारा इस आधी आबादी को सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। राज्य को विकसित बनाने के लिए सरकार, पुरुष और स्वयं महिलाओं द्वारा भी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना होगा। लैंगिक असमानता और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। सदियों से महिलाओं की आवाज दबी हुई है और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहा है तथा कई प्रकार की हिंसक गतिविधियों से भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सबसे उनमें आत्मबल और अधिकारों के प्रति सजगता की कमी है। इसका समाधान महिला सशक्तीकरण द्वारा संभव है।

महिलाएं कई तरह की बुराईयों की शिकार होती रहती है जिनमें दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल विवाह, बलात्कार आदि प्रमुख है। बिहार के समाज में ये सभी बुराईयां व्यापक रूप से व्याप्त है। इन सभी बुराईयों से निपटने और सुरक्षा के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। व्याप्त लैंगिक असमानता और पुरुषों पर निर्भरता खत्म करने के लिए महिला सशक्तीकरण जरुरी है जो उनके आर्थिक सशक्तीकरण से ही संभव है। इससे समाज में उनकी बात सुनी जाएगी, आत्मबल मिलेगा और स्वतंत्र होकर वह अपनी आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न कर सकेगी। पिछले पंद्रह वर्षों में इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कार्य हुए जिसका परिणाम दिख रहा है।

बिहार में महिला सशक्तीकरण के लिए किए गए कार्य प्रतिशत– बिहार में पिछले पंद्रह वर्षों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। हालांकि राज्य में महिला सशक्तीकरण की नींव राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनते ही पड़ गई थी। उस समय महिलाओं में राजनीतिक सजगता दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस दौर में महिला सशक्तीकरण का न तो विस्तार हो पाया और न ही यह कोई आकार ही ग्रहण कर सका, क्योंकि उस समय इसके लिए समुचित नीतियाँ नहीं बनाई गई थी। सत्ता परिवर्त्तन होते ही इस दिशा में कई कालजयी कार्य हुए जिसमें से सबसे महत्त्वपूर्ण है ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के सीटों में से 50प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। ऐसा करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसने वर्ष 2006 में ही महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित कर दी। इस एक फैसले ने जो उस वक्त प्रतीकात्मक कदम नजर आ रहा था, राज्य में बदलाव की ऐसी बयार बहा दी जिसकी तर्जुबा बिहार को कभी नहीं हुआ। इससे राज्य में एक बड़ी सामाजिक क्रांति का आगाज हुआ जो आगे चलकर अन्य कई कार्यों से अंजाम तक पहुँचा। इसे लागू करने के उपरांत राज्य में चार बार ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव हो चुके हैं। महिला भागीदारी पचास फीसदी से भी अधिक है। यह राज्य के लिए अभूतपूर्व है। राज्य के आधे से अधिक पंचायतों में महिलाएं कार्य निर्धारक बन गई है। ये राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में फैसले लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दे रही हैं। कई महिलाएं अपने सराहनीय नेतृत्व के कारण लोगों के लिए आदर्श भी बनी है। अतः स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण को संभव बनाया।

महिलाओं की गाँवों के कार्यों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभीमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इसमें राज्य में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी। पंचायतों में महिलाओं की मिली भागीदारी के कारण लिंग आधारित भेदभाव में कमी आयी है तथा घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने की ओर उन्मुख हुई हैं। महिलाएँ आज दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में सक्षम हुई है। हाल ही में जारी एनएफएचसी की आंकडत्रे इसकी पुष्टि भी करती है। धीरे–धीरे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास आ गया है। महिला पंचायत प्रतिनिधियाँ अपने पुरुष रिश्तेदारों के हाथों की कठपुतलियाँ नहीं रह गई है, बल्कि अब वे आगे बढ़कर पंचायत के विभिन्न मामलों में स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है जो महिला सशक्तीकरण का परिचायक है। बिहार में मुखिया पति की धारणा आम हुआ करती थी। अब इस तरह की धारणाएँ निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यह धारणा भी खत्म हो गई है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 50प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है और इसमें क्रांतिकारी बदलाव और सुधार आया है। महिलाएँ शिक्षा स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति अधिक सजग हुई है। महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से भाईचारा, मेल–जोल और अधिक निष्ठा एवं इमानदारी से कार्य करने, हरियाली एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशामुक्ति जैसे सामाजिक सुधारों पर भी बल मिलती है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

बिहार राज्य में साक्षरता दर भी बढ़ी है और इसका लगातार बढ़ना जारी है। गाँव में बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई है। इसके लिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। कई महिला जनप्रतिनिधि निरक्षर हैं जो यह नहीं चाहती हैं कि गाँव की कोई व्यक्ति खासकर महिलाएँ एवं बालिकाएँ अशिक्षित रहे। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ अथवा बालिकाएँ शिक्षा से जुड़ रही हैं जिससे स्कूलों में नामांकन अनुपात बढ़ा हैं छीजन दरें भी कम हुई है। महिलाएँ भ्रूण हत्या और दहेज रोकने के प्रति सजग हुई है। राज्य की महिलाएँ छोटे परिवार की आदी हो रही है। बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। बिहार जैसे सबसे निरक्षर, सघन घनी आबादी और अधिकतम प्रजनन दर वाले राज्य में यह सुधार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य में महिला कल्याण संबंधी कई योजनाएँ चलाई जा रही है। बड़ी मात्रा में जीत कर आयी महिला पंचायत प्रतिनिधियाँ योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करती है और इसके बेहतर क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करती है। हालांकि इन योजनाओं में क्रियान्वयन और निष्क्रियता और भ्रष्टाचार महिलाओं के सामने बड़ी चुनौती है जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को व्यापक पैमाने पर आरक्षण दी गई है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज आधे से अधिक प्रारंभिक शिक्षक महिला हैं। इसके उपरांत सिपाही नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। इस नए आरक्षण व्यवस्था के आधार पर कइ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारी संख्या में महिला सिपाहियों का चयन हुआ है। आज पूरे देश में सर्वाधिक महिला सिपाहियों की संख्या बिहार में है। सात निश्चय में एक निश्चय "आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार" भी है। इसमें सभी कोटि के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था लागू है। इन आरक्षण व्यवस्थाओं का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।

राज्य में सुधरी कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था ने भी महिला सशक्तीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की । शांति और सुव्यवस्था के माहौल में महिलाएं निर्भीक होकर स्वतंत्रा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए घरों से निकलने लगी।

बिहार में पूर्ण शराबंदी भी महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। यह महिलाओं के मांग पर ही लागू की गई है। शराबखोरी से सबसे अधिक महिलाएं ही परेशान थी। घर के मर्द शराब पीकर पड़े रहते थे और घर में आकर लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट किया करते थे। वे अब बाहर काम भी कर रहें, पैसा बचाकर घर में भी दे रहे हैं तथा घरेलू और अन्य कार्यों से महिलाओं का सहयोग भी कर रहे हैं। इस तरह शराबबंदी का सीधा सकारात्मक असर महिलाओं के जीवन पर भी हुआ है।

बिहार में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जो महिला सशक्तीकरण के लिए वरदान साबित हो रही है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रमुख है। बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल के छात्राओं को साईकिल के लिए और बालिका पोशाक योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा के बालिकाओं को पोशाक के लिए राशि दी जाती है। इन दोनों के कारण लड़कियों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता काफी बढ़ी है। 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता में 17.9प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह देश में सर्वाधिक है। इसके लिए बिहार को राष्ट्रपति द्वारा दशकीय साक्षरता पुरस्कार से भी सम्मनित भी किया जा चुका है। बोर्ड के परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उतीर्ण होने वाले छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2018 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए गए कार्यों में काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक पास होने तक 54,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दिसम्बर 2020 में इस योजना के अन्तर्गत चलायी गई मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 रु0 कर दी गई है, वहीं इंटर पास लड़कियों की राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। ये सभी योजनाएं राज्य में महिला शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। कन्या सुरक्षा योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए है। महिलाओं का सशक्तीकरण करने और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से नारी शक्ति योजना का शुभांरभ 2007–08 में किया गया। इस योजना के तहत महिला विकास निगम ने कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल, सेवान्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिला हेल्पलाइन आदि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। वर्ष 2023–24 के बिहार बजट में तलाकशुदा महिलाओं के लिए 25,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। महिला संबंधी इन सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों का लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं का समग्र सशक्तीकरण है।

जीविका कार्यक्रम भी महिलाओं को सशक्त बना रही है। इसके अन्तर्गत जीविकार्जन के अलावे महिलाएं खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य रक्षा का भी कार्य कर रही हैं जीविका के तहत सितम्बर 2022 तक 10.35 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा चुका था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पुनगर्ठन के उपरांत बिहार सरकार आजीविका कौशल एवं महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। इसके द्वारा योजना के अनतर्गत गरीब महिलाओं द्वार उद्यम शुरू करने के लिए दिए गए ऋण के ब्याज पर 3प्रतिशत अतिरिक्त छूट दे रही है। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जीविका परियोजना महिलाओं के सशक्तीकरण में अच्छा योगदान दे रही है। जनवरी 2023 में हुई मंख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदीयों के कार्य और दीदी को रसोई की खूब चर्चा है।

राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई और कदम उठाया है। बिहार सरकार ने बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन तैयार करने और राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति की

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

महिलाओं को लेकर एक विशेष बटालियन स्थापित करने का भी स्वीकृति दी गई हैं महिलाओं के नाम पर निबंधित और उनके द्वारा संचालित तिपहियों, टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी कैब पर वाहन कर से शत–प्रतिशत छूट की स्वीकृति दी गई है। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए आजीविका का स्थायी स्त्रोत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को अत्मनिर्भर बनाने के दिशा में 'हूनर' नामक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। लैंगिक मुद्दों, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और कामकाजी महिला कार्यस्थलगन यौन उत्पीड़न अधिनियम आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पीड़ित महिलाओं के सहायता के लिए हेल्पलाइन एवं रेफरल इकाई स्थापित की जा रही है। महिला विकास निगम द्वारा स्थापित लैंगिक संसाधन केंद्र भी महिलाओं के सहायता में कुशलतापूर्वक काम कर रही है। घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं को मुफ्त मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता के लिए सभी 38 जिलों में महिला हेल्प सेंटर की स्थापना की गई है।

किसी भी वर्ग या समुदाय के सांस्कृतिक विकास के बिना सशक्तीकरण अधूरा रहता है। अतः महिला विकास निगम राज्य में महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तीकरण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर वर्ष राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिला विकास निगम स्वयं सहायता समूह को मेले, नृत्य, लोकगीत नाटक आदि अनेक सांस्कृतक कार्यक्रम करने में सहयोग देता है। उस दिन प्रभात फेरियां भी निकाली जाती है।

ज्ञातव्य है कि महिला सशक्तीकरण बिहार सरकार का एक महत्त्वपूर्ण एजेंडा पहले भी रहा है और अब भी है। इसलिए सरकार ने 2008–09 से लगातार जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और शिक्षा ये तीन प्रमुख विभाग हैं जिनके जरिये महिला उन्मुख कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। पिछले पांच वर्षों में संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला विकास हेतु परिव्यय हिस्सा साल दर साल बढ़ता ही रहा है। राज्य के बजट में महिलाओं के परिव्यय भी रहा है जो साल दर साल थोडत्रे परिवर्तनों के साथ लगभग 10प्रतिशत रहा है।

महिला सशक्तीकरण के फायदे और परिणाम प्रतिशत– बिहार में महिला सशक्तीकरण के परिणाम चहुँ ओर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गांवों में यह परिणाम दृश्य प्रत्यक्ष है। महिला सशक्तीकरण ने राज्य के विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की कुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि की है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर महिलाएं आज आत्मनिर्भर है, सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना से लबालब है तथा विभिन्न मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में योग्य और सक्षम है। महिलाओं के निर्णय क्षमता पर आ राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों (2019–20) से पता चलता है कि बिहार में 86.5प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक मामलों में खुद निर्णय लेती है। जबकि कर्नाटक में यह आंकड़ा 82.7प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 84प्रतिशत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) 2020 के रिर्पोट के अनुसार राज्य में 76.7प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था, जिसका इस्तेमाल वे स्वयं कर रही थी। जबकि 2015–16 में यह मात्र 26.4प्रतिशत था। वहीं मोबाईल का इस्तेमाल करनेवाली महिलाओं की संख्या 40.9प्रतिशत से बढ़कर 51.4प्रतिशत हो गयी है। बिहार राज्य में वर्ष 2015–16 में 31.0प्रतिशत तथा 2019–20 में 58.8प्रतिशत महिलाएँ अपनी मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों जैसे नैपकिंस, सेनैटरी, टैम्पोन्स (रूई का फाहा), मासिक धर्म कप आदि का प्रयोग करती थी। यह आंकड़े राज्य में महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि में बदलाव की बडत्री कहानी कहती है जो काफी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी आंकड़े यह गवाही दे रहा है कि राज्य में नारी सशक्तीकरण के प्रयास के परिणाम आ रहे हैं। महिलाओं में राजनीतिक एवं सामाजिक सजगता का भी व्यापक विकास हुआ है। इसका एक उदाहरण राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया व्यापक आंदोलन है। महिलाओं के अभियानों से ही अभिभूत होकर मुख्यमंत्री ने एक कड़े शराबबंदी कानून लागू किया।

स्थानीय निकायों में मिली आरक्षण से महिलएं राजनीतिक रूप से सशक्त और सजग हुई है। आज राज्य में लगभग 2.59 लाख निर्वाचित पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों में 1.30 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो अपने–अपने क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही है। महिलाएं अब राजनीतिक रूप से काफी सजग है और चुनावी प्रक्रिया में बढ़–चढत्रकर हिस्सा ले रही है और हार–जीत में भी निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। पिछले कुछ चुनावों में बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक था। राज्य में पहली बार 2010 के विधान सभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। इस चुनाव में पुरुषों का 50.77प्रतिशत तथा महिलाओं का 54.85प्रतिशत मतदान प्रतिशत रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के वोट प्रतिशत एवं कुल वोट प्रतिशत से काफी अधिक रही। पुरुषों का 53.3प्रतिशत तथा महिलाओं का 60. 5प्रतिशत वोट रहा। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का मत प्रतिशत (59.7प्रतिशत) पुरुषों की मत प्रतिशत की तुलना में अधिक रही। इन तीनों चुनावों में श्री नीतीश के जीत में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही। यह निश्चित रूप से बिहार में महिलाओं की राजनीतिक जागरुकता और राजनीतिक सशक्तीकरण का परिचायक है। लेकिन यह नाकाफी है। भले ही राज्य में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढत्री है लेकिन उच्च या राज्य स्तर पर यह काफी कम है। वर्तमान विधानसभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या 26 है जो कुल सदस्य संख्या का मात्र 10. 0प्रतिशत है। सही मायनों में राज्य में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण तभी अंजाम तक पहुँचेगा जब विधान परिषद् और विधानसभा में आबादी के हिसाब से महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।

बिहार में महिला सशक्तीकरण के दिशा में किए गए कार्यों के कारण महिला शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। स्कूलों में लड़कियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बिहार में लड़कियों की शिक्षा ने सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। राज्य में 15 वर्षों में लडत्रकयों को शिक्षित करने के लिए चलायी जा रही योजनाओं से चहुमुखी विकास दृष्टिगत हैं साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना तथा पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बच्चियों को स्कूल जाने के प्रोत्साहन के कारण लड़कियों के शिक्षा

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2011 के जनगणना और दिसम्बर 2020 में जारी की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–5 की रिर्पोट इसकी पुष्टि कर रही है। राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि (13.7प्रतिशत) हुई। एनएफएचएस के 2005–2006 के रिपोर्ट के अनुसार 37. 0प्रतिशत तथा इसी के 2015–16 के रिपोर्ट के अनुसार 49.6प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थी। हाल ही में जारी दिसम्बर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019–20 में 57.8प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। पिछले 15 वर्षों में लगभग 21प्रतिशत की तथा पाँच वर्षों में 8प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें शहरी क्षेत्रों में 4प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 9प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामाणी क्षेत्र में इजाफा अधिक है। यह इजाफा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार राज्य सबसे पिछड़ा और अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। महिला अक्षर आंचल योजना भी महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार नौकरियों में मिले आरक्षण के लाभ के कारण अब बड़े पैमाने पर महिलाएँ पढ़ाई के लिए उत्साहित है। माता–पिता भी अपने बेटियों को बेटो की तरह पढ़ाई में सुविधा देने लगे हैं। यह प्रवृत्ति सभी जाति धर्मों और वर्गों में दिख रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना से भविष्य में और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि बिहार महिला साक्षरता में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। बालिका शिक्षा और रोजगार की समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए इसमें अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

महिला सशक्तीकरण से सामाजिक क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसम्बर 2020 में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–5 2019–20 के आंकड़े इसकी पुष्टि करती है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में शादी की औसत उम्र में सुधार हुआ है। यहाँ लगभग डेढ़ दशक पहले यानि कि वर्ष 2005–2000 के मुकाबले 2019–20 में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के शादी मामले में लगभग 27प्रतिशत की कमी आयी है। यह 2005–06 में 6900प्रतिशत, 2015–16 में 42.5प्रतिशत था जो 2019–20 में घटकर 40.8प्रतिशत हो गया है। लड़कियों के शिक्षित होने का असर है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बेटियाँ अधिक मुखर हुई है। बाल विवाह के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान का भी असर राज्य में दिख रहा है। राज्य में शादी की उम्र में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है तभी यह इस मामले में विकसित राज्य के समकक्ष हो जाएगा। शादी की उम्र में सुधार महिला सशक्तीकरण और साक्षरता का बड़ा पैमाना होता है। बिहार में शिक्षा और जागरूकता के कारण बिहार में परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है। एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार 2015–16 में यह 24.1प्रतिशत थी जो 2019–20 में बढ़कर 55.8प्रतिशत हो गया। परिवार नियोजन के आधुनिकतम तरीके 2015–16 में 23.3प्रतिशत महिलाएँ अपना रही थी जो 2019–20 में बढ़कर 44. 4प्रतिशत हो गया है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और देर से हो रही शादियों की वजह से आबादी की वृद्धि दर भी थमेगी। नवजात शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। 2015–16 में यह 36.7प्रतिशत थी जो 2019–20 में घटकर 34.5प्रतिशत हो गयी है। वहीं पाँच वर्ष से कम उम्र के शिशु मृत्यु दर 58प्रतिशत से घटकर 56.4प्रतिशत हो गई है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 2005–06 में 62प्रतिशत थी जो 2019–20 में घटकर 46.8प्रतिशत हो गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में इन तीनों मानकों में सुधार हुआ है। इसमें जो सुधार हुई है वह शिक्षा में सुधार से महिलाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था के दौरान अस्पताल आगमन आदि से हुई है। महिलाएँ बच्चों को जन्म के लिए अस्पताल को ही सुरक्षित समझ रही है। वर्ष 2015–16 में 63.8प्रतिशत बच्चों का जन्म अस्पताल से होता था जो अब (2019–20) बढ़कर यह आंकड़ा 76.2प्रतिशत हो गया है। जनांनिंकी के जानकारों के अनुसार घटा हुआ शिशु मृत्यु दर छोटा परिवार को बढ़वा देता है। बिहार में प्रजनन दर में भी कमी आई है। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान के कारण प्रजनन दर 2015–16 में 3.4प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 3.0प्रतिशत हो गया है। यानि 0.4प्रतिशत की कमी आई है। घर परिवार में महिलाओं की बढ़ी महत्ता से घारेलू हिंसा में भी गिरावट आई है। राज्य की महिलाओं ने हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। शराबबंदी से भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आयी है। वर्ष 2015–16 में 43.7प्रतिशत महिलाएँ घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थी जो 2019–20 में घटकर 40.0प्रतिशत रह गया है।

महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई है। आरक्षण व्यवस्था का परिणाम देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उठाकर भारी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हुई और सशक्त भी। महिलाएं अब अबला नहीं रही बल्कि चारदीवारी से निकलकर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सरकारी नौकरियों और जीविका का बड़ा योगदान है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय बड़े पैमाने पर कर रही है। महिलाओं के छोटे–छोटे समूहों द्वारा कुटीर उद्योगों का संचालन बखूबी किया जा रहा है। आज महिलाएं छोटे–छोटे उद्यमों का संचालन स्वयं कर रही है या इसमें पुरुषों का भी भागीदार बनी हुई है। इससे जहाँ समाज को एक नई दिशा मिल रही है वहीं आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है।

अतः निश्चित रूप से बिहार में महिला सशक्तीकरण की दिशा में काफी प्रशंसनीय कार्य हुए हैं। इस दिशा में जितना बिहार से कार्य हुए हैं, शायद ही किसी अन्य राज्य में हुआ होगा। यह एक ऐसे राज्य में और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिसे सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। लेकिन इसमें बहुत आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है बल्कि इसमें और भी सुधार एवं कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 से राज्य में महिला सशक्तीकरण नीति लागू है। इसे समुचित रूप से लागू करने में तत्परता और तेजी लाना होगा। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में फैली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ–साथ वितरण व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा ताकि लाभूकों तक लाभ पहुँच सके। महिलाओं को और जागरुक एवं अधिकारों के प्रति सजगता के लिए कई कार्यक्रम चलाने होंगे। कौशल विकास तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महिला शिक्षा में विकास जरूर हुई है लेकिन पिछले एक–दो वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता उजागर हुई है उसे जल्द से जल्द मिशन मोड में दुरुस्त करना होगा। सरकार एवं प्रशासन के शीर्ष स्तर से महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं समीक्षा लगातार करते रहने की आवश्यकता हैं कई कोशिशों के बावजूद बिहार में महिलाओं के लिए विकास पर्याप्त नहीं

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

है, पुरूषों का अहम् विद्यमान है, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएँ अभी भी बनी हुई है, पारिवारिक दबाव महिलाओं पर अधिक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में कई चुनौतियाँ हैं, बेरोजगारी दर भी बढ़ी हुई है, कन्या भ्रुण हत्या के सबसे ज्यादा मामले बिहार में है तथा रेप और दुष्कर्म के मामले राज्य में अब भी बड़ी मात्रा में है हालांकि कुछ कमियों और सुधार के आवश्यकता के बावजूद बिहार में महिला सशक्तीकरण के दिशा में हुए कार्यों को नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में इस दिशा में जो कई अद्भुत कार्य हुए हैं, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक एवं युगांतकारी है और देश के लिए आदर्श भी है और राह दिखाने वाला भी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ0 एम0 पी0 मोदी : (प्रधान सम्पादक) ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट (ए जर्नल ऑफ सेशल साइन्सेज) मुरैना मध्यप्रदेश, वाल्यूम 2 अक्टूबर–दिसम्बर, 2022.
2. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय : कुरूक्षेत्र, माह अगस्त 2016.
3. मीनाक्षी निशांत सिंह : महिला सशक्तीकरण का सच, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2019.
4. डॉ0 रजनीश कुमार (2023), बिहार योजनाएँ, कार्यक्रम एवं मुद्दे, नेशनल पब्लिकेशन, अशोक राज पथ, पटना–4.
5. किशोर राज (1994) : 'स्त्री के लिए जगह', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

*****